प्रवेश नियमावली सत्र- 2019-20

पं0ल0मो0शर्मा रा0स्ना0 महाविद्यालय ऋषिकेश (देहरादून)
(स्वायत्तशासी महाविद्यालय)

कुल गीत

रैम्य ऋषि की तपोभूमि यह, देवभूमि का आगन प्यारा।
जाहनवी की तरल भूमि में, बड़े ज्ञान की धारा।
यहाँ सभी के स्वप्न है पलते, अनगढ़ पत्थर आकार में ढलते।
शिवि, कर्ण सम पंडित मोहन ने, स्वप्न संजोया था इक प्यारा।
दिया दान उर–खोल खजाना, मिटा अशिक्षा का अंधियारा।
स्वप्न फलित हो दानवीर के, रहे सदा संकल्प हमारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
देवभूमि हर अंकुर को ज्ञानामृत में सिंचित करता।
हिमपुत्रें में ज्ञानपिपासा अनुदिन अविरल जाग्रत करता।
जीवन के हर पल में प्रतिफल सतरगी आभा को भरता।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
विद्याघट अमृत बन छलके, सदा एक ही नारा।
ज्ञान एकता औ अनुशासन में सत्य संकल्प हमारा।
उड़े पराग जब ज्ञान सुमन से, सुरभित हो दिव्यमण्डल सारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
संस्कारों का संवर्द्धन संरक्षण विज्ञान कला का।
गुरु जन के निर्देशन में फहरायें ज्ञान पताका।
सुरसरि के पावन कूलों में मिले प्रेम की धारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।
आओ साथी इस आंगन में ज्ञान ज्योति जगमग कर जाये।
देवभूमि के जन गण मन के सारे स्वप्न फलित हो जाये।
समरसता की सुरम्य संस्कृति में मिले विश्व की धारा।
पावन ज्ञान निकेतन न्यारा .....।

1. प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक नियम निर्देश –

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार के समय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित नाम एवं हाईस्कूल की अंकतालिका/प्रमाण में अंकित नाम समान है।
2. नये प्रवेशार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी द्वारा समस्त संलग्नक **स्व–प्रमाणित** होने चाहिए।

(क) समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां।
(ख) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
(ग) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की प्रामाणिक प्रतिलिपि (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)।
(घ) अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा)।
(च) व्यक्तिगत अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आचरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे। (प्रवेश के समय मूल प्रति जमा करना आवश्यक होगा)
(छ) पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।
(ज) खेल प्रमाण पत्र अथवा कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण–पत्र।
(झ) अन्य विश्वविद्यालय (हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को छोड़कर) की किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस महाविद्यालय में एम.ए./एम.एस.–सी., एम.काम, प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना छात्र का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
(ञ) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। विकलांग हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तराखण्ड) का प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो। अर्थात् 1 जुलाई 2016 से पहले का स्वीकार नहीं होगा। SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यार्थियों को स्वयं के नाम का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(य) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जायेगा।
(र) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की मूल पति काउन्सलिंग के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना/दिखाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।

3. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल पिछले सेमेस्टर के अंक पत्र की प्रति संलग्न करेंगे।
4. छात्र/छात्रा द्वारा बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी. प्रथम सेमेस्टर एवं एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय/विषय हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक संकाय से दूसरे संकाय में आवेदन पत्र स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं होगा।
5. अपूर्ण ऑनलाइन फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. ऑनलाइन की अन्तिम तिथि के पश्चात् अविचारित आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
7. अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए महाविद्यालय का सूचना पट्ट बेबसाइट देखते रहें।
8. प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के निमित गठित समितियां निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त सभी ऑनलाइन फार्म पर विचार करेंगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की वरियता सूची में नाम होने पर अभ्यर्थी के प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त ही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थिति होना होगा अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार सम्भव नहीं होगा। प्रवेश समितियां प्रवेश के लिए अर्ह प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करेगी और उपलब्ध स्थानों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता के आधार पर प्रवेशार्थियों के नामों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी। प्राचार्य की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रवेश अनुमन्य होगा तथा प्रवेश के पश्चात् भी अनियमितता व अनुशासनहीनता पाये जाने की स्थिति पर प्रवेश तत्काल निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
9. कोई भी विद्यार्थी एक सत्र में दो डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का न तो अध्ययन करेंगे और न ही इन परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे।

2. प्रवेश नियम सत्र 2019–2020 (निम्नलिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश पर लागू होंगे) –

1. केवल उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। अनुत्तीर्ण प्रवेशार्थी प्रवेश पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। ड्राप–आउट अभ्यर्थी भी प्रवेश पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। ड्राप आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत् प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।
2. (i) बीएस.–सी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट (विज्ञान) परीक्षा में न्यूतनम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
   (ii) बी.ए./बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
   नोट– अभ्यर्थी ने इण्टर परीक्षा जितने विषयों से उत्तीर्ण की है (ऐच्छिक विषय को छोड़कर) तो उसके अंकों का प्रतिशत उतने विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर लिया जायेगा।
   (iii) 39.99 को 40 प्रतिशत तथा 44.99 को 45 प्रतिशत नही माना जायेगा।
   (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश आर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखण्ड हेतु प्रमाण पत्र (नॉन क्रीमी धारकों के लिए) तीन वर्ष से अधिक पुराना अर्थात् 1 जुलाई 2016 से पूर्व का मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदित तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।
   (v) कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम योग्यता धारण करने पर ही प्रवेश पाने का अधिकार होगा।
   (vi) यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
   (vii) ओपन बोर्ड उत्तीर्ण प्रवेशार्थी जिस विद्यालय/अध्ययन केन्द्र से परीक्षा उत्तीर्ण किया है उस विद्यालय/अध्ययन केन्द्र से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करेंगे।

प्रवेश आवेदन के साथ दस्तावेज निम्न क्रम में लगायें–

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट
2. हाईस्कूल अंक तालिका (फोटो प्रति)
3. हाईस्कूल प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)
4. इण्टर अंक तालिका (फोटो प्रति)
5. इण्टर प्रमाण पत्र (फोटो प्रति)
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
7. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
8. रैगिंग एवं उपस्थिति हेतु शपथ–पत्र
9. आरक्षण/ खेलकूद/ एन.सी.सी./ एन.एस.एस./अन्य प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की फोटोप्रति
3. अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. प्राचार्य को बिना कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
5. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष कुल 10 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही अध्ययन करने की सुविधा रहेगी। इससे अधिक तक संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
6. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष का गैप अनुमन्य है अर्थात् 2015 से पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगें। गैंप वर्ष के साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त योग विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम तीन वर्षो का गैप अनुमन्य होगा।)
7. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश, स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता क्रम/प्रवेश परीक्षा अथवा दोनों के आधार पर दिया जाएगा।
8. अनुतीर्ण छात्र/छात्रा को संकाय बदलकर प्रवेश नहीं मिलेगा।
9. कानून द्वारा दण्डित छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
10. ऑन लाइन प्रवेश फार्म के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ माइग्रेशन प्रमाण–पत्र (NOS के लिये) मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।
11. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जांच के उपरान्त उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र/कागजात अथवा शपथ पत्र जाली पाये जाते हैं तो छानबीन करने पर अथवा सूचना प्राप्त होते ही उसका प्रवेश,

निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. प्रवेश के उपरान्त निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म भरकर शुल्क रसीद की छाया प्रति के साथ प्राचार्य कार्यालय में जमा करना होगा।
13. एक बार प्रवेश मिलने के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं होगां।
14. उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना–अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. किसी भी प्रकार कैजुअल एडमिशन नहीं दिया जायेगा।
16. (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा। (नोटः ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं के नाम पर प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।)

    (ii) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 1144/कार्मिक–2–200–53(1)2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14 प्रतिशत का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी से है।

    (iii) अन्य पिछड़े वर्ग उत्तराखण्ड प्रवेशार्थी को 1 जुलाई 2016 के बाद का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वह आवेदित तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।

    (iv) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा– (1) महिलाएं 30% (2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित 2% (3) विकलांग व्यक्ति 03% (4) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02% (जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी वर्ग में होरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा) विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    (v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्र–छात्राओं के लिए आरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश/निर्देश निर्गत होने तथा विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त औपचारितायें पूर्ण करने पर ही अनुमन्य होगा।
17. महाविद्यालय में प्रवेश छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवम् विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं पाये जायेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। रैगिंग हेतु प्रवेशार्थी को संलग्न शपथ पत्र पर स्वयं एवं संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
18. अगली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें वापस करनी होगी।
19. **सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रत्येक संस्थागत छात्र का 75 प्रतिशत उपस्थिति (सैद्धान्तिक एंव प्रायोगिक में अलग–अलग) होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।** इस हेतु प्रवेशार्थी एवं उनके संरक्षक को संलग्न शपथ पत्र को हस्ताक्षरित कर प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
20. सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

स्नातक प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश–

कला संकाय – बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय में से कोई दो विषय का चयन कर सकता है– (1) हिन्दी, (2) संस्कृत, (3) अंग्रेजी, (4) राजनीति विज्ञान, (5) अर्थशास्त्र, (6) इतिहास, (7) समाजशास्त्र, (8) भूगोल (प्रायोगिक), (9) गृहविज्ञान (प्रायोगिक), (10) संगीत (प्रायोगिक), (11) शिक्षा शास्त्र (प्रायोगिक), (12) गणित। कुल स्वीकृत सीट संस्कृत– 60, भूगोल–100, शि.शा. 50, संगीत–20, गृहविज्ञान–60, गणित–25 के साथ अन्य विषयों में प्रत्येक में 120 निर्धारित है।

उपरोक्त विषय चयन में योग्यता सूची एवं प्रत्येक विषय में स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

नोट (1) भूगोल विषय उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा भूगोल के साथ या विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है।

(2) बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित विषय चयन कर सकते है जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की है।

(3) जिन अभ्यर्थियों का इण्टर में संगीत विषय नहीं रहा है, वे भी बी.ए. में संगीत विषय का चयन कर सकते है।

(4) अंग्रेजी व संस्कृत एक साथ देय नहीं होंगे।

(5) हिन्दी के साथ गणित देय नहीं होगा।

(6) दो विषयों में अधिकतम एक प्रायोगिक विषय का चयन कर सकते है।

विज्ञान संकाय – बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में निम्नलिखित विषय–संयोजन स्वीकृत है विषय संयोजन में उन्हीं विषयों का चयन किया जाए जिनमें वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। (भू–विज्ञान को छोड़कर)

(क) भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित	स्वीकृत सीट–120
(ख) प्राणि–विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान	स्वीकृत सीट–120
(ग) भौतिक, गणित एव भू–विज्ञान	स्वीकृत सीट–40
(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एव भू–विज्ञान	स्वीकृत सीट–40

उक्त किसी भी विषय संयोजन में रसायन विज्ञान, सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही देय होगा।

वाणिज्य संकाय – बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। **स्वीकृत सीट–240**

3. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता क्रम निर्धारण –

इण्टरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों (Excluding qualifying subject) के प्राप्ताकों के आधार पर प्राप्त प्रतिशत को सूचकांक का आधार माना जाएगा। सूचकांक में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

1. सूचकांक निर्धारण हेतु अभ्यार्थियों को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देय होगे।

(अ) शासन/मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर	
(1) राष्ट्रीय स्तर	07 अंक
(2) राज्य/जोनल स्तर	05 अंक
(3) जिला स्तर	03 अंक
(ब) स्काउट गाइड राष्ट्रपति प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	02 अंक
स्काउट में जी–1 धारक को	01 अंक
स्काउट में जी–2 धारक को	02 अंक
(स) ध्रुव पद/ गुरुपद	02 अंक
(द) NCC/NSS 'बी'/'सी' प्रमाण पत्र अभ्यर्थी	03/05 अंक

प्रतिबन्ध यह होगा कि अ, ब, स तथा द के लिए अधिकतम 07 अंक देय होंगे।

नोट – खेलकूद के लिए वही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जो शासन/मान्यता प्राप्त विद्यालय/क्रीड़ा विभाग/शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये हो। निजी एसोसिएशन के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, भूतपूर्व/कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

क्रमांक 1 से 2 तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दषा में अधिकतम देय वरीयता अंक 10 ही होंगे।

(नोटः उपरोक्त लाभ किसी कक्षा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता निर्धारण के साथ में नहीं जोड़ा जायेगा।)

4. परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु तथा योग्यता क्रम निर्धारण हेतु नियम –

क) एम0एस0–सी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय अथवा यू0जी0सी0 मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्व विद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित बीएस0–सी0 परीक्षा उत्तीर्ण है। एमए0/एम–कॉम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक परीक्षा में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक आवश्यक है। उत्तराखण्ड के SC/ST अभ्यार्थियों को न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

ख) एम.एस.–सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु बीएस.–सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियां एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां सूचकांक निर्धारण करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

ग) सम्पूर्ण स्थान योग्यता क्रम से भरे जायेंगे तो निम्नाकिंत 'सूचकांक गणना' के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

$$\text{सूचकाकं सूत्र} = \frac{X + Y}{\text{अधिकतम } X + \text{अधिकतम } Y} \times 100$$

(यहाँ X का आशय स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक से है और Y स्नातकोत्तर कक्षा के लिए चयन किये गये विषय में स्नातक परीक्षा के (सैद्धान्तिक+प्रायोगिक) में कुल प्राप्तांक से है।)

1. शासन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रवेशार्थी को 07 अंक, अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य/जोनल स्तर पर आयोजित खेलकूल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 05 अंक तथा वि0वि0 स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर 03 अंक देय होंगे।
2. एन0सी0सी0 –'बी' प्रमाण पत्र पर 03 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र पर 05 अंक देय होंगे।
3. NSS के बी प्रमाण पत्र के लिए 03 तथा सी प्रमाण पत्र के लिए 05 अंक देय होंगे।
   प्रतिबन्ध यह होगा कि 01, 02 एवं 03 में कुल मिलकार 07 से अधिक अंक देय नहीं होंगे।
4. कार्यरत अथवा भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/पौत्र/पौत्री) के लिए 03 अंक का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होंगे।
5. शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट, गाईड, रोवर–रेंजर्स आदि में उपलब्धियों तथा कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रित एवं महाविद्यालय के शिक्षक–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को दिये गये वरीयता अंकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी और अभ्यार्थियों को प्रवेश योग्यता क्रम से दिया जायेगा। **अधिकतम देय वरीयता अंक 10 ही होंगे।**
6. बी.एस.सी./बी.कॉम उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी विषय से एम.ए. पूर्वाद्ध में (प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हैं–

कला संकाय– हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। कुल स्वीकृत सीट–भूगोल– 30 को छोड़कर 60 प्रत्येक।

विज्ञान संकाय– रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान एवं गणित। गणित विषय 60 को छोड़कर प्रत्येक में केवल 15–15 स्थान उपलब्ध है।

वाणिज्य संकाय–एम0कॉम0 – 80 सीट

नोट – स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को किसी भी दशा में अन्य स्नातकोत्तर विषय में पुनः प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

महाविद्यालय में निम्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम (स्व–वित्त पोषित) उपलब्ध है –

(1) बी0एस0–सी0 मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी	30 सीट
(2) पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस	40 सीट
(3) एम0ए0 इन योगा एण्ड ऑल्टरनेटिव थैरेपीज	20 सीट
(4) पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन	40 सीट
(5) पी0जी0 डिप्लोमा इन इको–टूरिज्म	30 सीट

नोट :–

1. सभी स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. बी0एस0–सी0 मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी को छोड़कर अन्य स्व. वित्त पोषित पाठ्यक्रम में आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।
3. **किसी भी स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी किसी भी दशा में महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में मतदाता, प्रत्याशी तथा चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होंगे।**
4. **स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के क्रमांक 4 एवं 5 पर अंकित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कम से कम 15–15 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही इन पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रवेश सम्भव होगा।**
1. **महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी अनिवार्य रूप से विद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस में आयें।**